

To

The Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi.

Sub: O.A. No. 177/2022 Abhisit Kusum Gupta versus State of Uttar Pradesh.

1. That the petitioner filed the above mentioned Original Application by which he has raised the complaint about the destruction and damaged of wetland/water bodies in District Gautam Buddh Nagar and made a prayer that the authorities concerned be directed to take steps for rejuvenation, restoration and improvement of the existing water bodies in the district and take further steps to remove encroachment on the water bodies.
2. That in pursuance of the letter dated 5 March 2018 issued by Principal Chief Conservator Forest and Wildlife U.P. to all the District Magistrate, District Wetland Authority was constituted and District Magistrate has been made Chairman and Divisional Forest Officer has been made Member Secretary of the Committee. It is submitted that the committee has been constituted for the suggestion to the concerned authorities for identification, sustainable development and preparation of the data, verification of Wetland.
3. That after the formation of District Wetland Committee, several meetings were conducted under the chairmanship of District Magistrate Gautam Buddh Nagar.

4. In above content 22 meeting (Annexure-R I) was conducted under the Chairmanship of District Magistrate of Gautam Buddh Nagar and directed the concern Authorities to comply Minutes of Meeting as on 27.01.2023. In consonance of letter no. 6205/29-1 dated 10.04.2023 issued by District Magistrate, Gautambudh Nagar/Chairman of District Wetland Committee, the petitioner Shri Abhist kusum Gupta was also added in the District Wetland Committee (Annexure- R II). In above content 05 meeting (Annexure- R III) was also conducted under the Chairmanship of District Magistrate of Gautam Buddh Nagar with valuable suggestion of the petitioner and directed the concern Authorities to comply Minutes of Meeting as on 22.06.2023 in light of Hon'ble NGT orders.
5. It is submitted that the District Wetland Committee has been performing its duty with utmost sincerity and taking necessary steps for the protection, conservation of the water bodies/Wetland.

It is therefore requested to you kindly place the present information along with the annexures before the Hon'ble for the adjudication of the Original Application.

Place:- NOZDA

Date: 13-07-2023

(Pramod Kumar)

Divisional Forest Officer/Member Secretary,
District Wetland Committee,
Gautam Buddh Nagar

दिनांक 26-05-2017 को जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार गौतमबुद्धनगर में
आहुत बैठक का कार्यपत्र

दिनांक 26-05-2017 को जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जिला वेटलैण्ड समिति की
बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे-

1. श्री एच.डी.गिरीश, सदस्य सचिव, प्रभागीय वनाधिकारी।
2. श्री राजेश कुमार, उपजिलाधिकारी, सदर।
3. श्री राजेश चौहान, जिला वन्य जन्तु अधिकारी।
4. श्री अनन्त मोहन सिंह, जिला प्रवक्ता, पट्टर नोएडा।
5. डॉ. अजय कुमार।
6. श्री भूपेश कुमार सुहैश, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
7. श्री पीएल. भोर्सा, तहसीलदार दादरी।
8. श्री संजय कुमार, तहसीलदार सदर।

सदस्य सचिव/ प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार Space Applications centre (ISRO) Ahmedabad द्वारा प्रकाशित National Wetland Atlas के आधार पर जनपद में कुल 783 वेटलैण्ड को चिन्हित करते हुए राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किया गया है। दिनांक 08-02-2017 को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन संख्या 230/2001 एम०के वलकृष्ण वनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद में स्थित ऐसे समस्त वेटलैण्ड जिनका क्षेत्रफल 2.25 है या उससे अधिक है को चिन्हित करते हुए Brief Document बनाकर Wetlands(Conservation & Management) Ruls 2010 के अन्तर्गत संरक्षित घोषित किये जाने हेतु राज्य सरकार के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है।

बैठक में जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रभागीय वनाधिकारी Wetlands(Conservation & Management) Ruls 2010, Brief Document बनाने हेतु गाईड लाईन्स एवं पूर्व में चिन्हित 783 वेटलैण्ड सूची को समस्त सदस्यों को उपलब्ध करायेगें। जनपद के अन्तर्गत 2.25 है० या उससे अधिक के वेटलैण्ड को तहसील के माध्यम से चिन्हित करते हुए उनके स्वामित्व के संबंध में सूचना दिनांक 05-06-2017 तक सदस्य सचिव/प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय गौतमबुद्धनगर (E-mail Id- dfonoida@gmail.com) को प्रेषित किया जाये।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग ई-1 सैक्टर 01 नोएडा।
पत्रांक 3414/18-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 30-5-2017।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 उपजिलाधिकारी, दादरी/जेवर/सदर।
- 3 जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 4 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
- 6 जिला मत्स्य अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

dc

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

दिनांक 03-05-2018 को जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित समस्त वेटलैण्ड को Wetland(Conservation and Management) Rules 2017 के अन्तर्गत प्रवण हेतु सदस्य सचिव,उ०प्र० राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक 03/26-11 दिनांक 15-03-2018 द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में जिलास्तरीय वेटलैण्ड समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- 1:- श्री एच०वी० गिरीश प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव।
- 2:- श्री राजेश कुमार सिंह, ओ०एस०डी०, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
- 3:- श्री अभित कुमार, उपजिलाधिकारी, दादरी।
- 4:- श्री प्रसूम द्विवेदी, उपजिलाधिकारी, जेवर।
- 5:- श्री ए०के० सिंह, उपजिलाधिकारी, सदर।
- 6:- श्री एस०सी० अग्रवाल सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, खुर्जा
- 7:- श्री एन०पी०एस० मथूरिया, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बुलन्दशहर खण्ड।
- 8:- श्री नगेन्द्र सिंह, जूनियर इंजिनियर, सिंचाई विभाग।
- 9:- धर्मराज चौहान, मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विभाग गौतमबुद्धनगर।
- 10:- श्री राकेश चौहान, जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
- 11:- श्री जीत सिंह राय, तहसीलदार सदर।
- 12:- श्री आलोक प्रताप सिंह, तहसीलदार जेवर।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव जिला वेटलैण्ड समिति द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन की अधिसूचना संख्या 1203/दिनांक 26-09-2017 द्वारा Wetland(conservation and Management) Rules 2017 जारी किया गया है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण भी गठित किया गया है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 230/2001(एम०के० बालकृष्णन व अन्य बनाम भारत सरकार) में पारित आदेश दिनांक 08-02-2017 के क्रम में सदस्य सचिव उ०प्र० राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जनपद के ऐसे समस्त वेटलैण्ड जिनका क्षेत्रफल 2.25 हेक्टेयर या उससे अधिक हो को तत्काल चिन्हित कर उनका Brief Document बनाकर प्राधिकरण को अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाना है। आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा जनपद में स्थित वेटलैण्ड के प्रबन्धन हेतु निम्न प्रकार समय सारणी निर्धारित की गयी है।

क	निर्धारित कृत्य	समय-सीमा
1	जिले के सभी वेटलैण्ड की सूची तैयार करना।	तत्काल
2	Wetlands (Conservation & Management) Rule 2017 के तहत जिले में अधिसूचित किये जाने वाले वेटलैण्ड की सूची तैयार करना।	01 माह
3	प्राथमिकता के आधार पर 2.25 हे० से बड़े वेटलैण्ड्स को चिन्हित कर उनकी Zone of Influence का निर्धारण कर Brief Document तैयार कर प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत करना।	03 माह
4	जिले के वेटलैण्ड हेतु व्यापक डिजिटल सूची तैयार करना।	तत्काल

जनपद के अन्तर्गत स्थित आर्द्रभूमियों का Wetland(conservation and Management) Rules 2017 के अनुसार प्रबंधन के सवका में चर्चा के उपरान्त जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष वेटलेण्ड समिति निर्देश दिये गये कि सदस्य समित्व 10/10 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 2.25 हेक्टेयर से बड़े वेटलेण्ड को चिह्नित कर एक सप्ताह के अन्दर सूचना निम्न तालिका में प्रभागीय वनाधिकारी, सदस्य समित्व को उपलब्ध कराये। (E-mail Id- dfonoida@gmail.com) (कार्यवाही उपजिलाधिकारी, दादरी, जेवर, सदर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, जिला कृषि अधिकारी, जिला मत्स्य अधिकारी)

क्र०स०	तहसील नाम	जल विकासखण्ड का नाम	गांव का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या

2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की सूची में Lakes/Ponds, ox-bow lakes/ cut-off meanders, Riverine wetlands, Waterlogged wetland, River/stream, Reservoirs/Barrages को भी सम्मिलित किया जाये।


प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 3762/28-18-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर - 10-5-2018।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- श्री राजेश कुमार सिंह, ओ0एस0डी0, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
- 2:- श्री अमित कुमार, उपजिलाधिकारी, दादरी।
- 3:- श्री प्रसूम द्विवेदी, उपजिलाधिकारी, जेवर।
- 4:- श्री ए0के0 सिंह, उपजिलाधिकारी, सदर।
- 5:- श्री एस0सी0 अग्रवाल सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, खुर्जा
- 6:- श्री एन0पी0एस0 मथूरिया, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बुलन्दशहर खण्ड।
- 7:- श्री नगेन्द्र सिंह, जूनियर इंजिनियर, सिंचाई विभाग।
- 8:- धर्मराज चौहान, मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विभाग गौतमबुद्धनगर।
- 9:- श्री राकेश चौहान, जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
- 10:- श्री जीत सिंह राय, तहसीलदार सदर।
- 11:- श्री आलोक प्रताप सिंह, तहसीलदार जेवर।
- 12 जिला कृषि अधिकारी गौतमबुद्धनगर।


प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

दिनांक 13-09-2018 को जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित समस्त वेटलैण्ड को Wetland(Conservation and Management) Rules 2017 के अन्तर्गत प्रबन्ध हेतु सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक 03/26-11 दिनांक 15-03-2018 द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में जिलास्तरीय वेटलैण्ड समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- 1:- श्री प्रमोद कुमार प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव।
- 2:- श्री राजेन्द्र कुमार, उपनिदेशक, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
- 3:- श्री वी०के० पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, ओखला हैड वर्क्स नई दिल्ली।
- 4:- श्रीमती तन्वी शर्मा, जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 5:- श्री टी०सी० लाबा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, खुर्जा
- 6:- श्री एन०के०जेन, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
- 7:- श्री शीतल प्रसाद, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्द्राबाद
- 8:- धर्मराज चौहान मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विभाग गौतमबुद्धनगर।
- 9:- श्री नरेश कुमार जूनियर इंजिनियर, सिंचाई विभाग।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव जिला वेटलैण्ड समिति द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन की अधिसूचना संख्या 1203/दिनांक 26-09-2017 द्वारा Wetland(conservation and Management) Rules 2017 जारी किया गया है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण भी गठित किया गया है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 230/2001(एम०के० बालकृष्णन व अन्य बनाम भारत सरकार) में पारित आदेश दिनांक 08-02-2017 के क्रम में सदस्य सचिव उ०प्र० राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जनपद के ऐसे समस्त वेटलैण्ड जिनका क्षेत्रफल 2.25 हेक्टेयर या उससे अधिक हो को तत्काल चिन्हित कर उनका Brief Document बनाकर प्राधिकरण को अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाना है। आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा जनपद में स्थित वेटलैण्ड के प्रबन्धन हेतु निम्न प्रकार समय सारणी निर्धारित की गयी थी, जिसका समय निकल गया है। अतः 15 दिन के अन्दर समस्त निर्धारित कार्यों को सम्पादित किया जाना है।

क	निर्धारित कृत्य	समय-सीमा
1	जिले के सभी वेटलैण्ड की सूची तैयार करना।	तत्काल
2	Wetlands (Conservation & Management) Rule 2017 के तहत जिले में अधिसूचित किये जाने वाले वेटलैण्ड की सूची तैयार करना।	01 माह
3	प्राथमिकता के आधार पर 2.25 हे० से बड़े वेटलैण्ड्स को चिन्हित कर उनकी Zone of Influence का निर्धारण कर Brief Document तैयार कर प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत करना।	03 माह
4	जिले के वेटलैण्ड हेतु व्यापक डिजिटल सूची तैयार करना।	तत्काल
5	अधिसूचित वेटलैण्ड एवं उनके Zone of Influence के भीतर विनियंत्रित एवं अनुज्ञात किये जाने वाले कार्य-कलापो की सूची तैयार करना।	03 माह
6	अधिसूचित प्रत्येक वेटलैण्ड के लिए Integrated Management Plan तैयार करना।	06 माह

7	अधिसूचित वेटलैण्ड के प्रबन्धन एवं संरक्षण का कार्य करना तथा सुरांगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना।	सतत कार्य
8	प्राधिकरण द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य	सतत कार्य

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि Wetland(conservation and Management) Rules 2017 के नियम-4के अन्तर्गत आर्द्रभूमियों के किया कलापो पर निम्न प्रकार प्राविधान किया गया है:-

नियम-4. आर्द्रभूमियों में कियाकलापों पर निर्बधन:-

(1) आर्द्रभूमि का संरक्षण और प्रबंध, आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धांत के अनुसार किया जायेगा।

(2) आर्द्रभूमि के भीतर, निम्नलिखित कियाकलापो को प्रतिषिद्ध किया जायेगा अर्थात्

(i) किसी भी किसम के अतिक्रमण सहित गैर-आर्द्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन।

(ii) किसी उद्योग को स्थापित करना और विद्यमान उद्योगो का विस्तार करना।

(iii) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के अन्तर्गत आने वाले निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का विनिर्माण या हथालन या भंडारण या निपटान परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों आनुवाशिक रूप से निर्मित जीवो या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण संबंधी नियम 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन ओर सीमापारीय संचलन) नियम 2008 के अन्तर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अन्तर्गत आने वाले ई-अपशिष्ट।

(iv) ढोस अपशिष्ट का पाटन।

उद्योगो, शहरो, कस्बो, गांवो और अन्य मानव बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट ओर बहिस्रावों का निस्सारण।

(v) किसी स्थायी प्रकृति का किसी निर्माण सविय नाव घटो के पचास मीटर के भीतर इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख के पिछले दस वर्षों में प्रेक्षित बाढ के औसतन उच्च स्तर से गणना की जायेगी और

(vi) अवैध शिकार।

परन्तु केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी कार्यकलाप के विलोपन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर सकेगी।

जनपद के अन्तर्ग स्थित आर्द्रभूमियों का Wetland(conservation and Management) Rules 2017 के अनुसार प्रबन्धन के संबंध में चर्चा के उपरान्त जिलधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष वेटलेण्ड समिति निर्देश दिये गये कि सदस्य सचिव उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 2.25 हेक्टेयर से बडे क्षेत्रफल वाले वेटलैण्डों की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया सूची का परीक्षण कर सूचना निम्न तालिका में 15 दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव को उपलब्ध कराये। सूची के अतिरिक्त यदि कोई वेटलैण्ड छूट गसे है तो उनको सम्मिलित किया जाये। साथ ही समस्त प्राधिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्षेत्र के नक्शा पास करने वाले सभी समक्ष अधिकारियो/प्लानर को अवगत कराये कि वेटलैण्ड में किसी प्रकार का निर्माण कार्य हेतु कोई नक्शा पास न किया जाये। वेटलैण्ड को संरक्षित किया जाना वेटलैण्ड नियम 2017 के साथ-साथ सरक्षित किया जाना, बायोडायवर्सिटी, वाटर रिचार्ज तथा

नैसर्गिक वातावरण हेतु आवश्यक है। (E-mail Id-dfonoida@gmail.com) (कार्यवाही उपजिलाधिकारी, दादरी, जेवर, सदर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, जिला मत्स्य अधिकारी)

इसके साथ ही वेटलेण्ड संरक्षण हेतु 2.25 हेक्टेयर से अधिक वेटलेण्ड का परीक्षण कर वेटलेण्ड नियमावली 2017 के अन्तर्गत किया जाना है। इसका व्यापक प्रचार किया जाये। (कार्यवाही उपजिलाधिकारी, दादरी, जेवर, सदर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, जिला मत्स्य अधिकारी)

क0सं0	तहसील का नाम	का	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या

2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की सूची में Lakes/Ponds, ox-bow lakes/ cut-off meanders, Riverine wetlands, Waterlogged wetland ,River/stream, Reservoirs/Barrages को भी सम्मिलित किया जाये। उक्त बैठक का कार्यवृत्त जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 1087/22-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 17-09-2018।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, महोदय, गौतमबुद्धनगर के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
- 2:- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण।
- 3:- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
- 4:- उपजिलाधिकारी, दादरी।
- 5:- उपजिलाधिकारी, जेवर।
- 6:- उपजिलाधिकारी, सदर।
- 7:- तहसीलदार, सदर, दादरी, जेवर।
- 8:- श्री एस0सी0 अग्रवाल सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, खुर्जा
- 9:- अधिशासी अभियन्ता, ओखला हैड वर्क्स नई दिल्ली।
- 10:- श्रीमती तन्नवी शर्मा, जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 11:- श्री टी0सी0 लांबा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, खुर्जा
- 12:- श्री एन0के0जेन, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
- 13:- धर्मराज चौहान मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विभाग गौतमबुद्धनगर।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

क्षेत्रिक - यमुना

दिनांक 09-05-2019 को जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 09-05-2019 को जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के निर्देश पर जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के वेटलैण्डों चिन्हित कर अधिसूचित करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलास्तरीय वेटलैण्ड समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री प्रमोद कुमार प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव।
2. श्री राजेन्द्र कुमार, उपनिदेशक, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. श्री एस0पी0त्रिपाठी, सहायक प्रबन्धक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
4. श्री राजेश चौहान मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विभाग गौतमबुद्धनगर।
5. श्री आलोक प्रताप सिंह, तहसीलदार, दादरी।
6. श्री दिनेश कुमार, एस0डी0ओ0, सिंचाई विभाग।
7. श्री शीतल प्रसाद, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्द्राबाद।
8. श्री अरविन्द्र कुमार मिश्र, क्षेत्रीय वन अधिकारी, एन0टी0पी0सी0।

बैठक में जिला कृषि अधिकारी, उपजिलाधिकारी, दादरी, सदर, जेवर एवं तहसीलदार सदर एवं जेवर द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। जबकि बैठक की सूचना प्रत्येक माध्यम से उपलब्ध करायी गयी थी।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव जिला वेटलैण्ड समिति द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन की अधिसूचना संख्या 1203/दिनांक 26-09-2017 द्वारा Wetland(conservation and Management) Rules 2017 जारी किया गया है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण भी गठित किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 230/2001(एम0के0 बालकृष्णन व अन्य बनाम भारत सरकार) में पारित आदेश दिनांक 08-02-2017 के क्रम में सदस्य सचिव उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जनपद के ऐसे समस्त वेटलैण्ड जिनका क्षेत्रफल 2.25 हेक्टेयर या उससे अधिक हो को तत्काल चिन्हित कर उनका Brief Document बनाकर प्राधिकरण को अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाना है। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक 69 वेटलैण्ड की सूची बैठक में उपलब्ध करायी गयी। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार राजस्व विभाग मौके पर भौतिक सत्यापन कर एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, ई-1, सेक्टर-1 नोएडा कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये। इसकी मॉनिटरिंग संबंधित उपजिलाधिकारी, जनपद गौतमबुद्धनगर से अपेक्षित है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

A-1/S

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 1306/19-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 13-5-2019।

धेतिलेलेपे जिलाधिकारी, महोदय, गौतमबुद्धनगर के अवलोकनार्थ प्रेषित।

1. लेपे निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
3. उप जिलाधिकारी, दादरी, सदर एवं जेवर।
4. तहसीलदार सदर एवं जेवर।
5. श्री राजेन्द्र कुमार, उपनिदेशक, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
6. श्री एस0पी0त्रिपाठी, सहायक प्रबन्धक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
7. धमराज चौहान गत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विभाग गौतमबुद्धनगर।
8. श्री आलोक प्रताप सिंह, तहसीलदार, दादरी।
9. श्री दिनेश कुमार, एस0डी0ओ0, सिंचाई विभाग
10. श्री शीतल प्रसाद, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्द्राबाद
11. श्री अरविन्द्र कुमार मिश्र, क्षेत्रीय वन अधिकारी, एन0टी0पी0सी0


प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

दिनांक 11-06-2018 को जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 11-06-2018 को जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के निर्देश पर जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के वेटलैण्डों चिन्हित कर अधिसूचित करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलारतरीय वेटलैण्ड समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।



बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव जिला वेटलैण्ड समिति द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन की अधिसूचना संख्या 1203/दिनांक 26-09-2017 द्वारा Wetland (conservation and Management) Rules 2017 जारी किया गया है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण भी गठित किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 230/2001(एम0के0 बालकृष्णन व अन्य बनाम भारत सरकार) में पारित आदेश दिनांक 08-02-2017 के क्रम में सदस्य सचिव उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जनपद के ऐसे समस्त वेटलैण्ड जिनका क्षेत्रफल 2.25 हेक्टेयर या उससे अधिक हो को तत्काल चिन्हित कर उनका Brief Document बनाकर प्राधिकरण को अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाना है। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक 69 वेटलैण्ड की सूची बैठक में उपलब्ध करायी गयी जिसमें प्रथम चरण में निम्न 16 वेटलैण्डों को अधिसूचित करने हेतु चिन्हित किया गया। इस संबंध में यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति हो तो कृपया तीन दिन के अन्दर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

जेवर विकासखण्ड

क्र० सं०	वेटलैण्ड का नाम	गूगल अर्थ के अनुसार	रिमोट सेन्सिंग 2015 की रिपोर्ट के अनुसार।	मौके की वर्तमान स्थिति	पानी भरी भूमि	फोटोग्राफ	कब्जा
1	भीकनपुर	4.85 हे०	14.70 हे०	2.0 हे०	1.0 हे०		शेष में खेती हो रही है
2	दस्तमपुर	2.31 हे०	15.92 हे०	2.0 हे०	1.0 हे०		शेष में खेती हो रही है
3	दयानतपुर-4	3.88 हे०	38.12 हे०	2.0 हे०	पानी नहीं है		शेष में खेती हो रही है
4	करोलीवांगर-3	4.1 हे०	5.87 हे०	3.0 हे०	1.0 हे०		आंशिक भूमि पर खेती
5	नीमका शाहजहाँपुर	4.60 हे०	23.34 हे०	-	3.0 हे०		एक तरफ आबाद व दूसरी तरफ खेती हो रही है

R-1/10

दनकौर विकासखण्ड

क्र० सं०	वेटलैण्ड का नाम	मूगल अर्थ के अनुसार	रिपोर्ट सेरिंग 2015 की रिपोर्ट के अनुसार।	मौके की वर्तमान स्थिति	पानी भरी भूमि	फोटोग्राफ	कब्जा
1	भट्टा-2	2.20 हे०	8.44 हे०	2.00 हे०	1.0 हे०		शेष भूमि पर कब्जा है
2	भट्टा-3	2.1 हे०	12.84 हे०	1.0 हे०	1.0 हे०		--
3	धनौरी-1	31.0 हे०	76.66 हे०	31.0 हे०	31.0 हे०		पूर्व में ग्रीफ डाक्यूमेन्ट बनाकर उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण लखनऊ को भेजा गया है।
4	धनौरी-2	2.17 हे०	24.55 हे०	2.17 हे०	2.17 हे०		--
5	मुतैना	3.41 हे०	8.64 हे०	3.41 हे०	3.41 हे०		--
6	बैलाना-2	2.00 हे०	16.54 हे०	3.79 हे०	3.79 हे०		--

दादरी विकासखण्ड

क्र० सं०	वेटलैण्ड का नाम	गूगल अर्थ के अनुसार	रिमोट सेन्सिंग 2015 की रिपोर्ट के अनुसार।	खाली भूमि	मौके की वर्तमान स्थिति	फोटोग्राफ	अभ्युक्ति
1	बील अकबरपुर	42.7 हे०	54.99 हे०	खेती/पटाव	8.0 हे०		उपयुक्त है
2	छांयसा	3.53 हे०	4.52 हे०	आबादी/खेती	4.97 हे०		उपयुक्त है
3	मायचा	3.91 हे०	5.6 हे०	आबादी/खेती	3.0 हे०		उपयुक्त है

बिसरख विकासखण्ड

क्र० सं०	वेटलैण्ड का नाम	गूगल अर्थ के अनुसार	रिमोट सेन्सिंग 2015 की रिपोर्ट के अनुसार।	खाली भूमि	मौके की वर्तमान स्थिति	फोटोग्राफ	अभ्युक्ति
1	शादीपुर छिडौली	86.1 हे०	118.70 हे०	हापुड जनपद सम्मिलित है	25.0 हे०		उपयुक्त है
2	तुस्याना	42.0 हे०	99.60 हे०	—	2.5 हे०		उपयुक्त है

K-I/12

इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा तहसील सदर एवं जेवर की सूचना प्राप्त न होने पर अप्ररान्ता व्यक्त की गयी है एवं निर्देश दिये गये कि वेटलैण्ड की सूचना तीन दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी/सदरस्य सचिव कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये। उक्त 16 चिन्हित वेटलैण्ड सूची के अनुसार राजस्व विभाग एवं वन विभाग मौके पर संयुक्त रूप से सत्यापन कर एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी/सदरस्य सचिव, ई-1, सेक्टर-1 नोएडा कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये। ताकि चिन्हित वेटलैण्डो को अधिसूचित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इसकी मॉनिटरिंग संबंधित उपजिलाधिकारी, जनपद गौतमबुद्धनगर से अपेक्षित है।


प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 4979/18-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर - 22-6-2019।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, महोदय, गौतमबुद्धनगर के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
- 2:- उप जिलाधिकारी, दादरी, सदर एवं जेवर।
- 3:- तहसीलदार सदर एवं जेवर एवं दादरी।
- 4:- , उपनिदेशक, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
- 5:- वरिष्ठ प्रबन्धक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
- 6:- वरिष्ठ प्रबन्धक, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
- 7:- सहायक प्रबन्धक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
- 8:- मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विभाग गौतमबुद्धनगर।
- 9:- अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी मॉट शाखा खण्ड गंगनहर, सिंचाई विभाग
- 10:- क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिकन्दाबाद
- 11:- क्षेत्रीय वन अधिकारी, एन0टी0पी0सी0
12. क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी


प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

कार्यवृत्त

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनिटयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में शासनदेश संख्या U.O 22/81-7-2020 दिनांक 25-08-2020 द्वारा **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे। जिसके क्रम में दिनांक 31-03-2021 को मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक आहुत की गयी। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।


1. श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. श्री अनवर शेख, जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3. श्री कुवंर सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. श्री के0आर0 वर्मा, महा प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण।
5. श्री आर0के0 जंयत, तहसीलदार, दादरी।
6. श्री विनय प्रताप सिंह, तहसीलदार जेवर।
7. श्री अरविन्द कुमार, तहसीलदार सदर।
8. श्रीमती सपना श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।
9. प्रवीण कुमार, क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नोएडा।
10. श्री राजेश ओझा, नोएडा प्राधिकरण।

बैठक में अधोहस्तक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलैण्ड्स के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना किसी भी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस संबंध में उच्च स्तर से अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा कार्य योजना उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। कार्य योजना दो प्रारूपों में बनायी जानी है। प्रारूप-1 में वन विभाग द्वारा जनपद स्तर की बनायी जायेगी तथा प्रारूप-2 में संबंधित विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जानी है। बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. ग्राम पंचायत, नगर पंचायत तथा प्राधिकरण अपने-अपने कार्य क्षेत्र के समस्त तालाबों की कार्य योजना बनाकर दिनांक 05-04-2021 तक प्रत्येक दशा में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को निर्देश दिये गये कि तहसील से प्राप्त सूचना प्राधिकरणों, जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी जाये ताकि उनके द्वारा कार्ययोजना ससमय प्रस्तुत की जा सके। (संलग्न)

dv

3. 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक तालाबो की कार्ययोजना वेटकोड के साथ उपलब्ध करायी जाये।
4. प्रारूप-2 में समस्त सूचना स्पष्ट रूप से अंकित की जाये।
5. तालाबो में स्थित पानी की जाँच भी करायी जानी है। इस संबंध में समस्त उत्तरदायी विभागो को निर्देश दिये गये कि तालाबो में स्थित पानी का सेम्पल संबंधित क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा/ग्रेटर नोएडा को उपलब्ध कराया जाये तथा क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्राप्त सेम्पल को लेब में भेजकर एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
6. महा प्रबंधक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि यदि उनके पास स्वयं की लेब है तो पानी की जाँच कराकर एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
7. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की जाँच हेतु एक निर्धारित प्रपत्र में विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही जाँच किया जाना संभव है। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को निर्देश दिये गये क्षेत्राधिकारी, से प्रारूप प्राप्त कर संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाये। (संलग्न)
8. जिन तालाबो में पानी उपलब्ध नहीं है उनको जीर्णोद्धार करने के उपरान्त पानी की जाँच करायी जाये।
9. तालाबो के जीर्णोद्धार में आने वाले व्यय के संबंधित विभाग द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
उक्त निर्देशो का अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर किया जाये। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न की जाये।
बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


 (अनिल कुमार सिंह)
 मुख्य विकास अधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

R-7/15

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक १५११ दिनांक गौतमबुद्धनगर - 01-04-2021 ।

1. प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित। कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक ५२२७ / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. ओ०एस०डी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. मुख्य महा प्रबंधक नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा
3. महा प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा
4. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दादरी, गौतमबुद्धनगर।
6. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
8. अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी मांट ब्राच खुर्जा बुलन्दशहर।
9. अधिशासी अभियन्ता हैड वर्क्स खण्ड गंग नहर ओखला।
10. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
11. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।

(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यवृत्त

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में शासनदेश संख्या U.O 22/81-7-2020 दिनांक 25-08-2020 द्वारा **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे। जिस क्रम में दिनांक 25-06-2021 को मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में विद्वान भवन सभागार में बैठक आहुत की गयी। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. श्री कुंवर सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3. श्री श्रीपाल सिंह, महा प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण।
4. श्रीमती सपना श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।
5. श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नोएडा।
6. श्री राजेश कुमार ओझा, नोएडा प्राधिकरण।
7. श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक, नोएडा प्राधिकरण।

बैठक में अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये भविष्य में आयोजित होने वाली बैठक में समय से प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झरना एवं वेटलैण्ड्स के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस संबंध में उच्च स्तर से अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. ग्राम पंचायत, नगर पंचायत तथा प्राधिकरण अपने-अपने कार्य क्षेत्र के समस्त तालाबों की कार्य योजना बनाकर एक सप्ताह में प्रत्येक दशा में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा कार्य योजना उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। कार्य योजना दो प्रारूपों में बनायी जानी है। प्रारूप-1 एवं 2 स्पष्ट अंकित की जाये।
3. तालाबों में स्थित पानी की जाँच भी करायी जानी है। इस संबंध में समस्त उत्तरदायी विभागों को निर्देश दिये गये कि तालाबों में स्थित पानी का सेम्पल संबंधित क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा/ग्रेटर नोएडा को उपलब्ध कराया जाये तथा क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्राप्त सेम्पल को लेब में भेजकर एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
4. महा प्रबंधक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि यदि उनके पास स्वयं की जाँच है तो पानी की जाँच कराकर एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
5. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की जाँच हेतु एक निर्धारित प्रपत्र जो पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराया

करा दिया गया था एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा उक्त प्रपत्र समस्त संबंधित विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।

6. जिन तालाबों में पानी उपलब्ध नहीं है उनको जीर्णोद्धार करने के उपरान्त पानी की जांच करायी जाये।
7. तालाबों के जीर्णोद्धार में आने वाले व्यय के संबंधित विभाग द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। उक्त निर्देशों का अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर किया जाये। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न की जाये।
बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 5212 / 18-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 28/6/2021।

1. प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. ओ०एस०डी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. मुख्य महा प्रबंधक नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
3. महा प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
4. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दादरी, गौतमबुद्धनगर।
6. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
8. अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी मांट ब्राच खुर्जा बुलन्दशहर।
9. अधिशासी अभियन्ता हैड वर्क्स खण्ड गंग नहर ओखला।
10. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
11. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।

(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यवृत्त।

1-11-18

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके कम में दिनांक 03-09-2021 को मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक आहुत की गयी। बैठक मे प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. श्री प्रवीन कुमार, क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश नियन्त्रण बोर्ड, नोएडा
3. श्री भुवन प्रकाश यादव, क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
4. श्री टी0सी0लाम्बा, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग
5. श्री शौदान सिंह, सीनियर मैनेजर, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
6. श्री राजेश कुमार ओझा, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
7. श्री महेन्द्र प्रकाश, उपनिदेशक, उद्यान, नोएडा प्राधिकरण।
8. श्री अरविन्द कुमार, सीनियर मैनेजर, नोएडा प्राधिकरण।
9. श्री मुकेश चन्द्र ए0डी
10. श्री विनोद कुमार डी0ए0ओ0
11. श्री हरिशंकर त्रिपाठी, मत्स्य विभाग।

बैठक में अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों के संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी ए एवं निर्देश दिये गये आगामी बैठक में स्पष्टीकरण सहित बैठक में समय से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। बैठक प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में धनौरी वेटलेण्ड को अधिसूचित करने हेतु ब्रीफ डाक्यमेंट बनाकर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया था जिस पर उच्च स्तर से कुछ आपत्ति लगायी गयी है। जिसका निस्तारण करने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वेटलेण्ड समिति के सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलेण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों तथा अधोस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक कार्यवृत्त दिनांक 28-06-2021 के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस संबंध में उच्च स्तर से अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। बैठक में बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत तथा प्राधिकरण अपने-अपने कार्य क्षेत्र के समस्त तालाबों की कार्य योजना बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को निर्देश दिये गये कि प्रारूप-2 पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में प्रेषित कर दिया जाये।
3. तालाबों में स्थित पानी की जाँच भी करायी जानी है। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की जाँच हेतु चार सेंपल प्रदूषण कार्यालय में प्रेषित किये गये हैं। निर्देश दिये गये कि समस्त उत्तरदायी विभाग तालाबों में स्थित पानी का सेंपल संबंधित क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा/ग्रेटर नोएडा को उपलब्ध कराया जाये तथा क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्राप्त सेंपल को लेब में भेजकर एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
4. 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक तालाबों की कार्ययोजना वेटकोड के साथ निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायी जाये।
5. अन्य समस्त विभाग द्वारा प्रारूप-2 में समस्त सूचना स्पष्ट रूप से अंकित की जाये।
6. जिन तालाबों में पानी उपलब्ध नहीं है उनको जीर्णोद्धार करने के उपरान्त पानी की जाँच करायी जाये।
7. समस्त तालाबों की सूचना उपलब्ध करायी जाये।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। यदि मा० उच्च न्यायालय में कोई अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा भी निर्देश दिये गये कि यदि एक सप्ताह के अन्दर वांछित सूचना प्राप्त नहीं होती तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।
9. सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमूना औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अर्द्धशासकीय पत्र लिखा जाये। (कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर)
10. तालाबों के जीर्णोद्धार में आने वाले व्यय के संबंधित विभाग द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
11. अन्त में समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्ययोजना के संबंध में यह अंतिम बैठक है यदि एक सप्ताह के अन्दर सूचना प्राप्त नहीं होती है संबंधित विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 211 / 19-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 7-9-2021।

1. प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित। कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Dr. Anil Kumar Singh
(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 211 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य महा प्रबंधक नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा
2. महा प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. ओ0एस0डी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दादरी, गौतमबुद्धनगर।
7. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी मांट ब्राच खुर्जा बुलन्दशहर।
10. अधिशासी अभियन्ता हैड वर्क्स खण्ड गंग नहर ओखला।
11. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
12. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।

Dr. Anil Kumar Singh
(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यवृत्त ।

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में दिनांक 25-10-2021 को जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जूम ऐप के के माध्यम से बैठक आहुत की गयी। बैठक मे श्री अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में धनौरी वेटलैण्ड को अधिसूचित करने हेतु ब्रीफ डाक्युमेंट बनाकर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया था जिस पर उच्च स्तर से कुछ आपत्ति लगायी गयी है। जिसका निस्तारण करने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वेटलेण्ड समिति के सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इस संबंध में अधोहस्तक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलैण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रो तथा मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर अध्यक्षता में आयोजित बैठक कार्यवृत्त दिनांक 28-06-2021 के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस संबंध में उच्च स्तर से अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत तथा प्राधिकरण अपने-अपने कार्य क्षेत्र के समस्त तालाबो की कार्य योजना बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को निर्देश दिये गये कि प्रारूप-2 पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर तीन दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में प्रेषित कर दिया जाये।
3. तालाबो में स्थित पानी की जाँच भी करायी जानी है। निर्देश दिये गये कि समस्त उत्तरदायी विभाग तालाबो में स्थित पानी का सेम्पल संबंधित क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा/ग्रेटर नोएडा को उपलब्ध कराया जाये तथा क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्राप्त सेम्पल को लेब में भेजकर एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
4. 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक तालाबो की कार्ययोजना वेटकोड के साथ निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायी जाये।



5. अन्य समस्त विभाग द्वारा प्रारूप-2 में समस्त सूचना स्पष्ट रूप से अंकित की जाये।
 6. जिन तालाबों में पानी उपलब्ध नहीं है उनको जीर्णोद्धार करने के उपरान्त पानी की जाँच करायी जाये।
 7. समस्त तालाबों की सूचना उपलब्ध करायी जाये।
 8. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। यदि मा० उच्च न्यायालय में कोई अवमानना की रिश्ति उत्पन्न होती है तो संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा भी निर्देश दिये गये कि यदि एक सप्ताह के अन्दर वांछित सूचना प्राप्त नहीं होती तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।
 9. तालाबों के जीर्णोद्धार में आने वाले व्यय के संबंधित विभाग द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
 10. गाटा संख्या के अनुसार तालाबों का भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये।
- बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

20/10/2021
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 1902/19-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 20-10-2021।

1. प्रतिलिपि-मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 1902/1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य महा प्रबंधक नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा
2. महा प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. ओ०एस०डी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दादरी, गौतमबुद्धनगर।
7. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी मांट ब्राच खुर्जा बुलन्दशहर।
10. अधिशासी अभियन्ता हैड वर्क्स खण्ड गंग नहर ओखला।
11. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
12. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यवृत्त ।


माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में दिनांक 17-11-2021 को जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जूम ऐप के के माध्यम से बैठक आहुत की गयी। बैठक मे श्री अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में धनौरी वेटलेण्ड को अधिसूचित करने हेतु ब्रीफ डाक्युमेंट बनाकर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया था जिस पर उच्च स्तर से कुछ आपत्ति लगायी गयी है। जिसका निस्तारण करने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वेटलेण्ड समिति के सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इस संबंध में अधोहस्तक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलेण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रो तथा मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर अध्यक्षता में आयोजित बैठक कार्यवृत्त दिनांक 25-10-2021 के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस संबंध में उच्च स्तर से अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत तथा प्राधिकरण अपने-अपने कार्य क्षेत्र के समस्त तालाबो की कार्य योजना बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को निर्देश दिये गये कि प्रारूप-2 पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर तीन दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में प्रेषित कर दिया जाये।
3. तालाबो में स्थित पानी की जाँच भी करायी जानी है। निर्देश दिये गये कि समस्त उत्तरदायी विभाग तालाबो में स्थित पानी का सेम्पल संबंधित क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा/ग्रेटर नोएडा को उपलब्ध कराया जाये तथा क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्राप्त सेम्पल को लेब में भेजकर एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
4. 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक तालाबो की कार्ययोजना वेटकोड के साथ निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायी जाये।



5. अन्य समस्त विभाग द्वारा प्रारूप-2 में समस्त सूचना स्पष्ट रूप से अंकित की जाये।
6. जिन तालाबों में पानी उपलब्ध नहीं है उनको जीर्णोद्धार करने के उपरान्त पानी की जाँच करायी जाये।
7. समस्त तालाबों की सूचना उपलब्ध करायी जाये।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। यदि मा० उच्च न्यायालय में कोई अवमानना की रिश्ति उत्पन्न होती है तो संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा भी निर्देश दिये गये कि यदि एक सप्ताह के अन्दर वांछित सूचना प्राप्त नहीं होती तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।
9. तालाबों के जीर्णोद्धार में आने वाले व्यय के संबंधित विभाग द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
10. गाटा संख्या के अनुसार तालाबों का भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये।
बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


 जिलाधिकारी,
 गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 2021/18-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 22-11-2021।


1. प्रतिलिपि-मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 जिलाधिकारी,
 गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 18-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य महा प्रबंधक नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा
2. महा प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. ओ०एस०डी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दादरी, गौतमबुद्धनगर।
7. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी मांट ब्राच खुर्जा बुलन्दशहर।
10. अधिशासी अभियन्ता हैड वर्क्स खण्ड गंग नहर ओखला।
11. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
12. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।


 जिलाधिकारी,
 गौतमबुद्धनगर।


कार्यवृत्त ।

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में दिनांक 02-03-2022 को जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जूम ऐप के के माध्यम से जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक में श्री अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट घोषित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है जिस पर जिला वेटलैण्ड समिति के सदस्यो का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि धनौरी वेटलैण्ड युमना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता हैं। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने से पूर्व युमना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर ली जाये। प्रभागीय वनाधिकारी, सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलैण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रो तथा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक कार्यवृत्त दिनांक 17-11-2021 के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस संबंध में उच्च स्तर से अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।


1. सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत तथा प्राधिकरण अपने-अपने कार्य क्षेत्र के समस्त तालाबो की कार्य योजना बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, को निर्देश दिये गये कि प्रारूप-2 पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरवाकर तीन दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करने की कार्यवाही करें।
3. तालाबो में स्थित पानी की जाँच भी करायी जानी है। निर्देश दिये गये कि समस्त उत्तरदायी विभाग तालाबो में स्थित पानी का सेम्पल संबंधित क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा/ग्रेटर नोएडा को उपलब्ध कराया जाये तथा क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्राप्त सेम्पल को लेब में भेजकर एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
4. 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक तालाबो की कार्ययोजना वेटकोड के साथ निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायी जाये।
5. अन्य समस्त विभाग द्वारा प्रारूप-2 में समस्त सूचना स्पष्ट रूप से अंकित की जाये।

6. जिन तालाबो में पानी उपलब्ध नहीं है उनको जीर्णोद्धार करने के उपरान्त पानी की जाँच करायी जाये।
7. समस्त तालाबो की सूचना उपलब्ध करायी जाये।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरणो से सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। यदि मा0 उच्च न्यायालय में कोई अवगानना की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा भी निर्देश दिये गये कि यदि एक सप्ताह के अन्दर वांछित सूचना प्राप्त नहीं होती तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।
9. तालाबो के जीर्णोद्धार में आने वाले व्यय के संबंधित विभाग द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
10. गाटा संख्या के अनुसार तालाबो का भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये।
बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


 जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
 जिला वेटलैण्ड समिति
 गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
 पत्रांक 3913/18-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 6-3-2022।

1. प्रतिलिपि-मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
 जिला वेटलैण्ड समिति
 गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 3913/18-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य महा प्रबंधक नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा
2. महा प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. ओ0एस0डी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दादरी, गौतमबुद्धनगर।
7. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी मांट ब्राच खुर्जा बुलन्दशहर।
10. अधिशासी अभियन्ता हैड वर्क्स खण्ड गंग नहर ओखला।
11. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
12. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।


 जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
 जिला वेटलैण्ड समिति

कार्यवृत्त ।

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में दिनांक 25-04-2022 को जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जूम ऐप के के माध्यम से जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक मे श्री अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि धनौरी वेटलैण्ड को रामसर साईट घोषित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है जिस पर जिला वेटलैण्ड समिति के सदस्यो का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि धनौरी वेटलैण्ड युमना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने से पूर्व युमना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर ली जाये। प्रभागीय वनाधिकारी, /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलैण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रो तथा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक कार्यवृत्त दिनांक 02-03-2022 के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस संबंध में उच्च स्तर से अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत तथा प्राधिकरण अपने-अपने कार्य क्षेत्र के समस्त तालाबो की कार्य योजना बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, को निर्देश दिये गये कि प्रारूप-2 पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरवाकर तीन दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करने की कार्यवाही करें।
3. तालाबो में स्थित पानी की जाँच भी करायी जानी है। निर्देश दिये गये कि समस्त उत्तरदायी विभाग तालाबो में स्थित पानी का सेम्पल संबंधित क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा/ग्रेटर नोएडा को उपलब्ध कराया जाये तथा क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्राप्त सेम्पल को लेब में भेजकर एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
4. 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक तालाबो की कार्ययोजना वेटकोड के साथ निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायी जाये।
5. अन्य समस्त विभाग द्वारा प्रारूप-2 में समस्त सूचना स्पष्ट रूप से अंकित की जाये।
6. जिन तालाबो में पानी उपलब्ध नहीं है उनको जीर्णोद्धार करने के उपरान्त पानी की जाँच करायी जाये।
7. समस्त तालाबो की सूचना उपलब्ध करायी जाये।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरणो से सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। यदि मा0 उच्च न्यायालय में कोई अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा भी निर्देश दिये गये कि यदि एक सप्ताह के अन्दर वांछित सूचना प्राप्त नहीं होती तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

A-228

9. तालाबो के जीर्णोद्धार में आने वाले व्यय के संबंधित विभाग द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
10. गाटा संख्या के अनुसार तालाबो का भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये।
11. मा0 एन0जी0टी0 के निर्देश के कम में अवगत कराया जाये कि कितने वेटलेण्ड पर अतिक्रमण है तथा अतिक्रमण खाली कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है। आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।
12. पोखर/तालाब वाईज सूचना निम्न प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जाये।

क्र0	वेटलेण्ड का नाम	लोकेशन	क्षेत्रफल	अक्षांश / देशेन्तर	न्यूनतम/अधिकतम पानी की गहराई से0मी0 में	स्वाभित्त	वर्तमान उपयोग	जलस्रोत/इनफ्लो/आउफ्लो	गाटा सं0	वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		अतिक्रमण	अतिक्रमण नहीं	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

29/1/22
जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलेण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 4776/18-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 30-4-2022।

1. प्रतिलिपि-मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलेण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 4776/18-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य महा प्रबंधक नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा
2. महा प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. ओ0एस0डी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दादरी, गौतमबुद्धनगर।
7. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी मांट ब्राच खुर्जा बुलन्दशहर।
10. अधिशासी अभियन्ता हैड वर्क्स खण्ड गंग नहर ओखला।
11. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
12. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।

जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलेण्ड समिति

कार्यवृत्त।

K-I/27

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफिटनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में दिनांक 19-05-2022 को जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जूम ऐप के के माध्यम से जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक में श्री अनिल कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलैण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रो तथा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक कार्यवृत्त दिनांक 02-03-2022 के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस संबंध में उच्च स्तर से अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।


1. सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत तथा प्राधिकरण अपने-अपने कार्य क्षेत्र के समस्त तालाबो की कार्य योजना बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये।
2. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-04-2022 के साथ प्राप्त सूची के अनुसार तालाबो की वर्तमान स्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि संबंधित अधिकारीगण एक सप्ताह के अन्दर वांछित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा मा0 एन0जी0टी0 के निर्देश के क्रम में अवगत कराया जाये कि कितने वेटलेण्ड पर अतिक्रमण है तथा अतिक्रमण खाली कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है। एक सप्ताह में अवगत कराया जाये।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, को निर्देश दिये गये कि प्रारूप-2 पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरवाकर तीन दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करने की कार्यवाही करें।
4. 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक तालाबो की कार्ययोजना वेटकोड के साथ निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायी जाये।
5. अन्य समस्त विभाग द्वारा प्रारूप-2 में समस्त सूचना स्पष्ट रूप से अंकित की जाये।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरणो से सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। यदि मा0 उच्च न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में कोई अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा भी निर्देश दिये गये कि यदि एक सप्ताह के अन्दर वांछित सूचना प्राप्त नहीं होती तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।
7. तालाबो में निहित गाटा संख्या का विवरण दिया जाये तथा इसका भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये।

L

8. समिति अध्यक्ष द्वारा समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद में स्थित वेटलैण्ड/तालाबों का मास्टर प्लान तैयान कर उपलब्ध कराया जाये तथा अमृत सरोवर योजना की सूचना एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जाये।
9. पोखर/तालाब वाईज/वेटलैण्ड की सूचना निम्न प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जाये।

वेटलैण्ड का नाम	लोकेशन	क्षेत्रफल	अक्षांश / देशेन्तर	न्यूनतम/अधिकतम पानी की गहराई सेमीमी में	स्वागित्त्व	वर्तमान उपयोग	जलस्रोत/ इनापलो/ आउपलो	गाटा सं०	वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति	
2	3	4	5	6	7	8	9		अतिक्रमण	अतिक्रमण नहीं	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 5289/18-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 25-5-2022।

1. प्रतिलिपि-मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 5289/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य महा प्रबंधक नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा
2. महा प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. ओ०एस०डी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दादरी, गौतमबुद्धनगर।
7. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी मांट ब्राच खुर्जा बुलन्दशहर।
10. अधिशासी अभियन्ता हैड वर्क्स खण्ड गंग नहर ओखला।
11. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
12. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।


जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

कार्यवृत्त ।

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेपिटनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में water Bodies के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में दिनांक 30-06-2022 को जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जूम ऐप के के माध्यम से जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक मे, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलैण्ड्स के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रो तथा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक कार्यवृत्त दिनांक 19-05-2022 के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस संबंध में उच्च स्तर से अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत तथा प्राधिकरण अपने-अपने कार्य क्षेत्र के समस्त तालाबों की कार्य योजना बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये।
2. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-04-2022 के साथ प्राप्त सूची के अनुसार तालाबो की वर्तमान स्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा दिनांक 30-06-2022 को वांछित सूचना उपलब्ध करायी गयी। समिति अध्यक्ष द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को निर्देश दिये गये कि प्राप्त सूचना का अवलोकन कर यथोचित अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा / ग्रेटर नोएडा, को निर्देश दिये गये कि प्रारूप-2 पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरवाकर तीन दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करने की कार्यवाही करें।
4. 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक तालाबो की कार्ययोजना वेटकोड के साथ निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायी जाये।
5. तालाबो में निहित गाटा संख्या का विवरण दिया जाये तथा इसका भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये।
6. बैठक मे प्रभागीय वनाधिकारी /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि धनौरी वेटलैण्ड को अधिसूचित करने / तथा रामसर साईट घोषित करने हेतु प्रस्ताव डब्लू0डब्लू0एफ0 को प्रेषित कर दिया गया है।
7. पोखर / तालाब वाईज / वेटलैण्ड की सूचना निम्न प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जाय

क्र0 सं0	वेटलैण्ड का नाम	लोकेशन	क्षेत्रफल	अक्षांश / देशेन्तर	न्यूनतम / अधिकतम पानी की गहराई से0मी0 में	स्वामित्व	वर्तमान उपयोग	जलस्रोत / इनफ्लो / आउटफ्लो	गाटा सं0	वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति
----------	-----------------	--------	-----------	--------------------	---	-----------	---------------	----------------------------	----------	----------------	-----------

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

K-I/32

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 29 / 18-1 दिनांक गौतमबुद्धनगर 2-7-2022।

1. प्रतिलिपि—मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

J. J. J.
जिलाधिकारी, / अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 29 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य महा प्रबंधक नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा
2. महा प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. ओ0एस0डी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
5. उपजिलाधिकारी दादरी / सदर / जेवर -
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दादरी, गौतमबुद्धनगर।
7. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी भांट ब्राच खुर्जा बुलन्दशहर।
10. अधिशासी अभियन्ता हैड वर्क्स खण्ड गंग नहर ओखला।
11. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
12. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।

J. J. J.
जिलाधिकारी, / अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

कार्यवृत्त ।

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेपिटनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनिटयन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजना तैयार किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में दिनांक 21-07-2022 को जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जूम ऐप के माध्यम से जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में श्री तेज प्रताप मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, डॉ0 डी0के0 सोनी, वैज्ञानिक, सी0पी0सी0वी तथा समिति के अन्य सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलों, एवं वेटलैण्ड्स के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों तथा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक कार्यवृत्त दिनांक 30-06-2022 के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस संबंध में उच्च स्तर से अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-

1. सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत तथा प्राधिकरण अपने-अपने कार्य क्षेत्र के समस्त तालाबों की कार्य योजना बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये।
2. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-04-2022 के साथ प्राप्त सूची के अनुसार तालाबों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करायी गयी किन्तु नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना प्राधिकरण से वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई। समिति अध्यक्ष द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को निर्देश दिये गये कि प्राप्त सूचना का अवलोकन कर यथोचित अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये तथा संबंधित प्राधिकरण द्वारा वांछित सूचना तीन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाये।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, को निर्देश दिये गये कि प्रारूप-2 पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरवाकर तीन दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करने की कार्यवाही करें।
4. 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक तालाबों की कार्ययोजना वेटकोड के साथ निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायी जाये।
5. तालाबों में निहित गाटा संख्या का विवरण दिया जाये तथा इसका भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये।
6. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि धनौरी वेटलैण्ड को अधिसूचित करने/तथा रामसर साईट घोषित करने हेतु यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है प्रस्ताव डब्लू0डब्लू0एफ0 को प्रेषित कर दिया गया है।
7. पोखर/तालाब वाईज/वेटलैण्ड की सूचना निम्न प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जाये।

0	वेटलैण्ड का नाम	लोकेशन	क्षेत्रफल	अक्षांश /देशेन्तर	न्यूनतम/अधिकतम पानी की गहराई से0मी0 में	स्वामित्व	वर्तमान उपयोग	जलस्रोत/ इनफ्लो/ आउटफ्लो	गाटा सं0	वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति
---	-----------------	--------	-----------	-------------------	---	-----------	---------------	--------------------------	----------	----------------	-----------

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

/ - 25/34

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 608/181 दिनांक गौतमबुद्धनगर 23/07/2022।

1. प्रतिलिपि-मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

J. K. Singh
जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 608/181-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य महा प्रबंधक नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा
2. महा प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. ओ0एस0डी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दादरी, गौतमबुद्धनगर।
7. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी मांट ब्राच खुर्जा बुलन्दशहर।
10. अधिशासी अभियन्ता हैड वर्क्स खण्ड गंग नहर ओखला।
11. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
12. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
13. डॉ0 डी0के0 सोनी, Scientist-E CPCB

J. K. Singh
जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

कार्यवृत्त।

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओवराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में water Bodiesके पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिराके कम में दिनांक 02-09-2022 को जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जूम ऐप के के माध्यम से जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक मे श्री तेज प्रताप मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलैण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रो तथा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक कार्यवृत्त दिनांक 21-07-2022 के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस संबंध में उच्च स्तर से अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत तथा प्राधिकरण अपने-अपने कार्य क्षेत्र के समस्त तालाबो की कार्य योजना बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये।
2. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-04-2022 के साथ प्राप्त सूची के अनुसार तालाबो की वर्तमान स्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा दिनांक 30-06-2022 को वांछित सूचना उपलब्ध करायी गयी। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण प्राप्त सूचना का अवलोकन कर यथोचित अग्रतत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, को निर्देश दिये गये कि प्रारूप-2 पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरवाकर तीन दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करने की कार्यवाही करें। इस संबंध में सदस्य सचिव/प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को दूरभाष पर भी अवगत करा दिया गया है।
4. 2.25 हेक्टेयर एवं उससे अधिक तालाबो की कार्ययोजना वेटकोड के साथ निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायी जाये।
5. तालाबो में निहित गाटा संख्या का विवरण दिया जाये तथा इसका भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये।
6. बैठक मे प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि धनौरी वेटलैण्ड को अधिसूचित करने/तथा रामसर साईट घोषित करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 882/35-5 दिनांक 04-08-2022 द्वारा वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 मेरठ वृत्त मेरठ को प्रेषित कर दिया गया है। वन संरक्षक मेरठ वृत्त मेरठ द्वारा अपने पत्रांक 577/14-1 दिनांक 04-08-2022 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव/सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य, आर्द्रभूमि प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। (प्रति संलग्न)
7. पोखर/तालाब वार्ड/वेटलैण्ड की सूचना निम्न प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जाय

क्र0 सं0	वेटलैण्ड का नाम	लोकेशन	क्षेत्रफल	अक्षांश /देशन्तर	न्यूनतम/अधिकतम पानी की गहराई से0मी0 में	स्वामित्व	वर्तमान उपयोग	जलस्रोत/ इनपलो/ आडपलो	गाटा सं0	वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति
-------------	--------------------	--------	-----------	---------------------	---	-----------	------------------	-----------------------------	-------------	-------------------	-----------

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी,
पत्रांक 1460/8-1 दिनांक

गौतमबुद्धनगर

गौतमबुद्धनगर 9-9-2022।

1. प्रतिलिपि—मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, (प्रशारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

क्रांक 1460/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य महा प्रबंधक नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा
2. महा प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. ओ0एस0डी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
5. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका दादरी, गौतमबुद्धनगर।
7. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी मांट ब्राच खुर्जा बुलन्दशहर।
10. अधिशासी अभियन्ता हैड वर्क्स खण्ड गंग नहर ओखला।
11. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
12. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।

जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति
गौतमबुद्धनगर।

कार्यवृत्त।

दिनांक 17-09-2022 के श्री सुहारा एल0नाई, जिलाधिकारी, महोदय, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में वेवीनार ऐप के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अमीष कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-04-2022 एवं 06-09-2022 की अद्यतन स्थिति हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक में श्री तेज प्रताप मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, श्री प्रवीण मिश्रा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण, श्रीमती प्रेरणा शर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में जिलाधिकारी महोदय, द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-

1. अतिक्रमित तालाबों की स्थिति:-

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त उपजिलाधिकारीगण से अतिक्रमित तालाबों को कब्जामुक्त कराने हेतु कौ गयी कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये:-

- (क) कब्जामुक्त कराये गये अतिक्रमित तालाबों की संख्या।
- (ख) अतिक्रमित तालाबों के सम्बन्ध में न्यायालयों में लम्बितवादों की संख्या।
- (ग) निर्णीत वादों में मौके पर निष्पादन की स्थिति।
- (घ) अनिर्णीत वादों को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निर्णीत कराकर तालाबों को कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिये गये।

2. जनपद स्थित तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित, क्षेत्रान्तर्गत तालाबों की स्थिति/विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये:-

- पुनर्ग्रहित तालाबों के स्थानों पर 1.25 गुना भूमि उपलब्ध कराने की स्थिति।
- कितने स्थलों पर तालाब निर्माण नहीं कराया गया है?
- कितने स्थलों पर तालाब खुदवा दिये गये है?

3. अतिक्रमण हटाने के संबंध में संवेदनशीलता बरती जाये।


4. विगत वर्षों की वर्षवार गूगल इमेज निकलवाई जाये।

5. ऐसे कितने तालाब हैं जो नियोजित हो गये परन्तु नाम नहीं बदला गया है, की सूची उपलब्ध करायी जाये तथा जो तालाब नियोजन की प्रक्रिया में उनकी भी सूची उपलब्ध करायी जाये। तीनों प्राधिकरण अपने-अपने कार्य क्षेत्र में विकसित तालाबों का भौतिक सर्वे कराकर यदि अवैध अतिक्रमण है तो उसको खाली कराने की कार्यवाही की कार्य योजना बनाकर उन्हें एक सप्ताह के अन्दर खाली कराये जाने की कार्यवाही अमल में लाये।

6. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाएँ तैयार किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रपत्र-1 एवं 2 की सूचना एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये। (कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

उपर्युक्त विवरण उपलब्ध कराते हुये लम्बित कार्यों को यथाशीघ्र सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

दिनांक 07-10-2022 के श्री तेज प्रताप मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में वेबीनार ऐप के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता वनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-04-2022 एवं 06-09-2022 की अद्यतन स्थिति हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक में श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, श्रीमती प्रेरणा शर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, श्रीमती चंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, श्री अविनाश त्रिपाठी, ओ0एरा0डी0, नोएडा प्राधिकरण श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नोएडा, श्री भूतन सिंह क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा दिनांक 17-09-2022 को जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर विन्तुचार विस्तार से अवगत कराया गया। मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा निम्न निदेश दिये गये।

1. दिनांक 17-09-2022 को आयोजित बैठक के विन्तु संख्या-1 में वांछित सूचना आज ही प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये। (कार्यवाही समस्त उप जिलाधिकारी)
2. दिनांक 17-09-2022 को आयोजित बैठक विन्तु के संख्या-2,3,4,5 एवं 6 से वांछित सूचना दिनांक 07-10-2022 की सांय तक प्रत्येक दशा में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।)
3. बैठक में क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट में यह परिलक्षित नहीं हो रहा है कि उल्लिखित तालाबो को स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन किसके द्वारा एवं कार्यवाही किस स्तर पर की गयी है। मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा निर्देश दिये गये कि सूचना पुनः उपलब्ध करायी जाये एवं सूचना प्राप्त होने पर इसका परीक्षण कर आगामी बैठक में अवगत कराया जाये। (कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, समस्त उपजिलाधिकारी,)
4. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रेषित की गयी रिपोर्ट में दो तालाबो जो कि एक तहसील जेवर एवं एक सदर तहसील के अन्तर्गत आते है। निर्देश दिये गये कि उक्त दोनो तालाबो का परीक्षण कर लिया जाये।

(कार्यवाही उपजिलाधिकारी, जेवर एवं सदर, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

5. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि तालाबो को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु क्या कार्यवाही/प्रयास किया जा रहे हैं। निदेश दिये गये कि लिखित सूचना उपलब्ध करायी जाये। (कार्यवाही यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
6. सूचना में यह भी इंगित किया जाये कि तालाबो का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया है, उसका नाम, पदनाम, मोबाईल न0 मय फोटोग्राफ के अंकित किया जाये।
7. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 12-10-2022 की तिथि नियत की गयी है एवं समस्त संबंधित प्रतिवादी द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्र की सूचना मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष नियत तिथि से पूर्व अपने प्रतिउत्तर 24 घण्टे के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रतिउत्तर दाखिल करने से उसका परीक्षण किया जा सके।

(कार्यवाही समस्त प्रतिवादी)

8. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफिटनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रपत्र-1 एवं 2 की सूचना एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये। (कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

मुख्य विकास अधिकारी

गौतमबुद्धनगर।
7/10/2022

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
 पत्रांक: 2000/35-3, दिनांक गौतमबुद्धनगर 7-10-2022।
 प्रतिलिपि जिलाधिकारी, महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।


 मुख्य विकास अधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2000/ , दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधितों को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।


 मुख्य विकास अधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2000/ , दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर।
2. अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) गौतमबुद्धनगर।
3. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
4. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
5. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।


 मुख्य विकास अधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।
 07/10/2022

-:कार्यवृत्त:-

दिनांक 09-10-2022 को राय 7.00 बजे श्री सुहास एल0वाई, जिलाधिकारी, महोदय, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में वेदीनार ऐप के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अभीष्ट कुरुम गुप्ता वनाग उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-04-2022 एवं 06-09-2022 की अद्यतन स्थिति हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री सुहास एल0वाई	जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
2	श्री तेज पताप मिश्र	मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3	श्री प्रमोद कुमार	प्रणामीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
4	श्रीमती जेदेता श्रीवास्तव	अपर जिलाधिकारी, वित्त/राजस्व, गौतमबुद्धनगर।
5	श्री प्रसून द्विवेदी	ओ0एस0डी0, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
6	श्री सलील यादव	डी0जी0एम0, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
7	श्री ए0के0 सिंह	जी0एम0, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
8	श्री के0के0 सिंह	महा प्रबंधक, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा
10	श्री अभय कुमार	उप जिलाधिकारी, जेवर
11	श्री आलोक गुप्ता	उप जिलाधिकारी, दादरी।
12	श्री अंकित कुमार	उप जिलाधिकारी, सदर
13	श्री कुंवर सिंह यादव	जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
14	श्री प्रवीण कुमार	क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
15	श्री भुवन यादव,	क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
16	श्री अशोक यादव	इन्स्पेक्टर, डी0सी0पी0 हेड क्वार्टर कार्यालय

बैठक जिलाधिकारी, महोदय द्वारा दिनांक 17-09-2022 एवं 07-10-2022 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पत्रांक क्रमश 1736/35-3 दिनांक 22-09-2022 एवं पत्रांक 2000/35-3 दिनांक 07-10-2022 के बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी।

1. उप जिलाधिकारी, दादरी से प्रत्येक बिन्दु पर समीक्षा की गयी, जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर स्पष्टता न होने के कारण निर्देश दिये गये कि कार्यवृत्त में दिये गये समस्त बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी)

2. पूर्व बैठक में विगत वर्षों की वर्षवार गूगल इमेज निकलवाने हेतु निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्यवाही नहीं की गयी निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उप जिलाधिकारी)

3. बैठक में उपस्थित नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारी को निर्देश दिये गये कि तालाबों की संख्या एवं उनके पुनर्ग्रहित की स्थिति स्पष्ट करने तथा उपजिलाधिकारी दादरी से सम्पर्क कर तालाबों की स्थिति में कोई भिन्नता न रहे यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

4. जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 1123/डी0एल0आर0सी0/2021 दिनांक 02-03-2021 (प्रति संलग्नक) में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। प्राधिकरण को स्थानीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें भूमि प्रबंधन समिति के अधिकार निहित हैं। अतः तालाबों को खाली कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। (प्रबंधन, जमीनी, नियंत्रण, ज्ञाप)

(समस्त प्राधिकरण)

5. बैठक में ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समीक्षा करने पर यह बिन्दु प्रकाश में आया कि तालाबों की संख्या उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट से भिन्न है। निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमों तथा आदेशों के क्रम में अतिक्रमित तालाबों यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबों की संख्या में कोई भिन्नता न रहे।

(कार्यवाही ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उपजिलाधिकारी जेवर)

6. बैठक में अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पुर्नग्रहित तालाबों की सूचना भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। निर्देश दिये कि वांछित सूचना 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करा दी जाये।

7. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश में मुख्यतः दो विन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार निर्देशित किया गया है:-
(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण)
➤ तालाबों का क्षेत्र सर्वेक्षण कर वास्तविक स्थिति ज्ञात कर कार्यवाही की जाये।
➤ तालाबों के पुर्नजीवन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है, का विवरण उपलब्ध कराया जाये।

8. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेपिटनेट कर्नल सर्वदमन सिंह ओवराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में Water Bodies के पुर्नजीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे जिराके कम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रपत्र-1 एवं 2 की सूचना एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही जिला पंचायत राज अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
9. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में जनपद में तालाबों सुदृढीकरण करने के संबंध में कार्य किये गये हैं। उन तालाबों को सूचीबद्ध कर मय फोटोग्राफ के उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये किये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी)

10. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये। (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06-09-2022 के कम में समस्त संबंधित द्वारा अपना Reply आदेशानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

6/10/22
जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 2007 / 35-3 , दिनांक गौतमबुद्धनगर 10-10-2022।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधितों को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
4. डी0सी0पी0 मुख्यालय गौतमबुद्धनगर।

6/10/22
जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2007 / 35-3 , दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर।
3. अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व) गौतमबुद्धनगर।
4. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
5. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
6. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।

6/10/22
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

-:कार्यवृत्त:-

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफिटनेट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके कम में दिनांक 04-11-2022 को श्री तेज प्रताप मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक मे श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्रीमती वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एव वेटलैण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफिटनेट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके कम में प्रपत्र-2 में सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में ना0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में जनपद में स्थित तालाबों की संख्या निम्न प्रकार अंकित की गयी है।

जनपद में स्थित तालाबों की संख्या का विवरण										
क्र0	नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	यमुना प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	नगर निकाय	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्राम पंचायत	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना
1	67	0	281	107	277	0	32	0	361	249

बैठक में निर्देश दिये गये कि समस्त तालाबों की सूचना प्रपत्र-2 में एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, एवं जिला पंचायतराज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।)

2. पूर्व बैठक में विगत वर्षों की वर्षवार गूगल इमेज निकलवाने हेतु निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्यवाही नहीं की गयी निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उप जिलाधिकारी)

3. बैठक में उपस्थित नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारी को निर्देश दिये गये कि तालाबों की संख्या एवं उनके पुनर्ग्रहित की स्थिति स्पष्ट करने तथा उपजिलाधिकारी दादरी से सम्पर्क कर तालाबों की स्थिति में कोई भिन्नता न रहे यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

(समस्त प्राधिकरण)

4. बैठक में ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समीक्षा करने पर यह विन्दु प्रकाश में आया कि तालाबों की संख्या उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट से भिन्न है। निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमों तथा आदेशों के कम में अतिक्रमित तालाबों यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित

7-7/43

सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबो की संख्या में कोई भिन्नता न रहे।

- (कार्यवाही ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उपजिलाधिकारी जेवर)
5. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में जनपद में तालाबो सुदृढीकरण करने के संबंध में कार्य किये गये है। उन तालाबो को सूचीबद्ध कर मय फोटोग्राफ के उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये किये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी)
 6. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

प्रारूप

क्र0सं0	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या/स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज
1	2	3	4	5	6		

- (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण)
7. तालाबो में निहित गाटा संख्या का विवरण दिया जाये तथा इसका भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये। (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण)

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
पत्रांक: 2453/35-3, दिनांक गौतमबुद्धनगर 9-11-2022।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2453/ , दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधितो को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।
7/11/2022

24-11-22

पत्रांक 2453/ , दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर।
2. अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व) गौतमबुद्धनगर।
3. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
4. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
5. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।

मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।
21/11/22

-:कार्यवृत्त:-

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में दिनांक 09-12-2022 को श्री सुहास एल0वाई जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जिला वेटलेण्ड समिति की बैठक आयुक्त की गयी। बैठक मे श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्रीमती चंदिता श्रीवास्ताव, अपर जिलाधिकारी, जिला/राजस्व गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलों, एवं वेटलेण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में प्रपत्र-2 में सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अमीष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में जनपद में स्थित तालाबों की संख्या निम्न प्रकार अंकित की गयी है।

जनपद में स्थित तालाबों की संख्या का विवरण										
क्र0	नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	यमुना प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	नगर निकाय	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्राम पंचायत	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना
1	67	0	281	107	277	0	32	0	361	249

बैठक में निर्देश दिये गये कि समस्त तालाबों की सूचना प्रपत्र-2 में एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, एवं जिला

पंचायतराज अधिकारी गौतमबुद्धनगर, नगरपालिका/समस्त नगर पंचायत)

2. पूर्व बैठक में विगत वर्षों की वर्षवार गूगल इमेज निकलवाने हेतु निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्यवाही नहीं की गयी निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उप जिलाधिकारी)

3. बैठक में उपस्थित नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारी को निर्देश दिये गये कि तालाबों की संख्या एवं उनके पुनर्ग्रहित की स्थिति स्पष्ट करने तथा उपजिलाधिकारी दादरी से सम्पर्क कर तालाबों की स्थिति में कोई भिन्नता न रहे यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

(समस्त प्राधिकरण)

4. बैठक में ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समीक्षा करने पर यह बिन्दु प्रकाश में आया कि तालाबों की संख्या उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट से भिन्न है। निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमों तथा आदेशों के क्रम में अतिक्रमित तालाबों यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबों की संख्या में कोई भिन्नता न रहे।

(कार्यवाही ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उपजिलाधिकारी जेवर)

5. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में जनपद में तालाबों सुदृढीकरण करने के संबंध में कार्य निर्ये गये हैं। उन तालाबों को सूचीबद्ध कर मय फोटोग्राफ के उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये किये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी)

6. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

प्रारूप

क0सं0	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टर में	गाटा संख्या / स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	मूगल इमेज
1	2	3	4	5	6		

7. तालाबों में निहित गाटा संख्या का विवरण दिया जाये तथा इसका भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये।
(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण)

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

[Signature]
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय

जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 2000/10-1, दिनांक

गौतमबुद्धनगर

2022।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधितों को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

[Signature]
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2000/10-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर
2. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर
2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर
3. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
4. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
5. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।

[Signature]
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

11

-:कार्यवृत्त:-

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफिटनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में दिनांक 27-01-2023 को श्री सुहास एल0वाई जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक मे श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलैण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफिटनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में प्रपत्र-2 में सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में जनपद में स्थित तालाबो की संख्या निम्न प्रकार अंकित की गयी है।

क्र० सं०	नोएडा प्राधिकरण	जनपद में स्थित तालाबो की संख्या का विवरण								
		प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	यमून प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	नगर निकाय	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्राम पंचायत	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना
1	67	0	281	107	277	0	32	0	361	249

बैठक में निर्देश दिये गये कि समस्त तालाबो की सूचना प्रपत्र-2 में एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. पूर्व बैठक में विगत वर्षों की वर्षवार गूगल इमेज निकलवाने हेतु निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्यवाही नहीं की गयी निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उ० जिलाधिकारी)

3. बैठक में उपस्थित नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारी को निर्देश दिये गये कि तालाबो की संख्या एवं उनके पुनर्ग्रहित की स्थिति स्पष्ट करने तथा उपजिलाधिकारी दादरी से सम्पर्क कर तालाबो की स्थिति में कोई भिन्नता न रहे यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

(समस्त प्राधिकरण)

4. बैठक में ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समीक्षा करने पर यह बिन्दु प्रकाश में आया कि तालाबो की संख्या उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट से भिन्न है। निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमो तथा आदेशो के क्रम में अतिक्रमित तालाबो यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबो की संख्या में कोई भिन्नता न रहे।

(कार्यवाही ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उपजिलाधिकारी जेदर)

9 - 1/1/18

5. जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 1123/डी0एल0आर0सी0/2021 दिनांक 02-03-2021 में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा-59 की उपधारा (6) के अन्तर्गत प्राधिकरण को स्थानीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें भूमि प्रबंधन समिति के अधिकार (प्रबंधन, संरक्षण, नियंत्रण आदि) निहित हैं। अतः तालाबों को खाली कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण)

6. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा-59 की उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्

“स्थानीय प्राधिकरण में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण अथवा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन ‘औद्योगिक विकास क्षेत्रान्तर्गत घोषित कोई औद्योगिक नगरी सम्मिलित होंगे।’ धारा-59 के अनुसार तालाबों के चिन्हांकन, संवर्धन, सर्वेक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) कार्य सम्बन्धित प्राधिकरण एवं नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, एवं जिला पंचायतराज अधिकारी गौतमबुद्धनगर, नगरपालिका/समस्त नगर पंचायत)

7. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा बैठक में अवगत कराना गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में सुनवायी की आगामी तिथि 8 फरवरी, 2023 नियत की गयी है। निर्देश दिये गये सुनवायी की तिथि से पूर्व सम्पूर्ण कार्यवाही/सूचना रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी)

8. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में जनपद में तालाबों सुदृढीकरण करने के सम्बन्ध में कार्य किये गये हैं। उन तालाबों को सूचीबद्ध कर मय फोटोग्राफ के उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी)

9. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

प्रारूप

क्र० सं०	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या/स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज	भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण)

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

30/1/23

जिलाधिकारी, /अध्यक्ष

जिला ग्रेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर

K- 5/49

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 3808 / 35-3, दिनांक गौतमबुद्धनगर 31/01/2023।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधितों को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

31/01/23
जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 3808 / _____, दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर
2. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर
3. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर
4. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
5. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
6. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी, /अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर

कार्यालय

जिलाधिकारी,

गौतमबुद्धनगर

पत्रांक

6205

दिनांक गौतमबुद्धनगर

10-04-2023।

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत समस्त जनपदों में वेटलैण्ड के सर्वे, चिन्हांकन, संरक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) उपयोग हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-757/14-4-2009 दिनांक 25, मार्च 2009 द्वारा जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय वेटलैण्ड समिति के सदस्यगण निम्नवत हैं:-

(क) जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष।
(ख) जिला कृषि अधिकारी	-	सदस्य।
(ग) अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग	-	सदस्य।
(घ) मत्स्य अधिकारी	-	सदस्य।
(च) प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक	-	सदस्य सचिव।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में प्राप्त निर्देश के क्रम जनपद गौतमबुद्धनगर में वेटलैण्ड के सर्वे, चिन्हांकन, संरक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) उपयोग हेतु जिला स्तर पर वेटलैण्ड समिति के पुर्नगठन हेतु समिति के उक्त सदस्यों के साथ-साथ समिति में निम्न अधिकारियों/पर्यावरणविद को भी सम्मिलित करने के आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अभिन्न नामित अधिकारी	-	सदस्य।
(ख) मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर	-	सदस्य।
(ग) अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर	-	सदस्य।
(घ) समस्त उप जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर	-	सदस्य।
(ङ) क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नोएडा	-	सदस्य।
(च) क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा	-	सदस्य।
(छ) जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर	-	सदस्य।
(ज) श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता, पर्यावरणविद	-	विशेष आमंत्रित सदस्य,

जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति

पत्रांक

6205

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 के अनुपालन में जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 2666/18-1 दिनांक 03-11-2022 द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा ओ0एस0डी0 से अभिन्न अधिकारियों को नामित करते हुए उनके नाम, पदनाम तथा मोबाईल न0 सूचित करने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु अभी तक वांछित कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई। कृपया तदनुसार कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति

पत्रांक

6205

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव जिला वेटलैण्ड समिति।
3. समस्त सदस्यगण जिला वेटलैण्ड समिति।

जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति

-:कार्यवृत्त:-

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनिटयन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में दिनांक 25-02-2023 को श्री तेज प्रताप मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, तथा समिति के अन्य सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलों, एवं वेटलैण्ड्स के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनिटयन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में प्रपत्र-2 में सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अनीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में जनपद में स्थित तालाबों की संख्या निम्न प्रकार अंकित की गयी है।

क्र0 सं0	नोएडा प्राधिकरण	जनपद में स्थित तालाबों की संख्या का विवरण								
		प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	यूनून प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	नगर निकाय	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्राम पंचायत	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना
1	67	0	281	107	277	0	32	0	361	249

बैठक में निर्देश दिये गये कि समस्त तालाबों की सूचना प्रपत्र-2 में एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, एवं जिला पंचायतराज अधिकारी गौतमबुद्धनगर, नगरपालिका/समस्त नगर पंचायत)

2. पूर्व बैठक में विगत वर्षों की वर्षवार गूगल इमेज निकलवाने हेतु निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्यवाही नहीं की गयी निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उप जिलाधिकारी)

3. बैठक में ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समीक्षा करने पर यह बिन्दु प्रकाश में आया कि तालाबों की संख्या उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट से निम्न है। निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमों तथा आदेशों के क्रम में अतिक्रमित तालाबों यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबों की संख्या में कोई भिन्नता न रहे।

(कार्यवाही ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उपजिलाधिकारी जेवर)

4. जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 1123/डी0एल0आर0सी0/2021 दिनांक 02-03-2021 में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा-59 की उपधारा

2-III/2

219

(6) के अन्तर्गत प्राधिकरण को स्थानीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें भूमि प्रबंधन समिति के अधिकार (प्रबंधन, संरक्षण, नियंत्रण आदि) निहित है। अतः तालाबों को खाली कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

5. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा-59 की उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्

“स्थानीय प्राधिकरण में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण अथवा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन 'औद्योगिक विकास क्षेत्रान्तर्गत घोषित कोई औद्योगिक नगरी सम्मिलित होंगे।' धारा-59 के अनुसार तालाबों के चिन्हांकन, संवर्धन, सर्वेक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) कार्य सम्बन्धित प्राधिकरण एवं नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, एवं जिला पंचायतराज अधिकारी गौतमबुद्धनगर, नगरपालिका/समस्त नगर पंचायत)

6. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जो तालाब विकास कार्यों के कारण नष्ट हो गये हैं अथवा जिनमें अतिकमण हो चुका है उन तालाबों को Mitigation में शामिल करने की कार्यवाही की जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी)

7. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अनुरोध किया गया कि अमृत वन योजना की तर्ज पर अतिकमित तालाबों को mitigation में शामिल किया जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत)

8. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में तालाबों को सूचीबद्ध करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। डिजिटल-1 में 15 तालाबों में से 05 में कार्य प्रारम्भ हो चुका है शेष में टेण्डर की कार्यवाही की जा रही है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि संबंधित अधिकारियों की उक्त के संबंध में जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में पृथक से एक बैठक आयोजित करने की कार्यवाही जाये। (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी)

9. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में जनपद में तालाबों सुदृढीकरण करने के सम्बन्ध में कार्य किये गये हैं। उन तालाबों को सूचीबद्ध कर मय फोटोग्राफ के उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी)

10. धारा-67 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की अध्याधिकारिक स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये। (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी,)

11. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

प्रारूप

क्र. सं.	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टर में	ताला संख्या/स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	ग्रामलक्ष्य	भौतिक सत्पादन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगरपालिका, नगर पंचायत)
बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

मुख्य विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर
2023/11/23

K-III/3

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
 फ़ॉक 5645/16-1, दिनांक गौतमबुद्धनगर 3-3-2023।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर की सेवा सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी,
 गौतमबुद्धनगर

फ़ॉक 5645, दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इन अनुबंध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधितों को
 उपायित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोर्खा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोर्खा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

मुख्य विकास अधिकारी,
 गौतमबुद्धनगर

फ़ॉक 5645, दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. उपर जिलाधिकारी वित्त/सजस्त गौतमबुद्धनगर
3. प्रशासकीय कर्मी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर
4. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
5. क्षेत्राधिकारी, जल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोर्खा।
6. क्षेत्राधिकारी, जल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोर्खा।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. अधिराज्य अनियंत्रण, नगर जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
9. अधिराज्य अनियंत्रण, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।

मुख्य विकास अधिकारी,
 गौतमबुद्धनगर
 28/3/2023

K-1114

-:कार्यवृत्त:-

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके कम में दिनांक 15-03-2023 को श्री मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जिला वेटलेण्ड समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक में श्री तेज प्रताप मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्रीमती यंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलों, एवं वेटलेण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके कम में प्रपत्र-2 में सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में जनपद में स्थित तालाबो की संख्या निम्न प्रकार अंकित की गयी है।

क्र० सं०	नोएडा प्राधिकरण	जनपद में स्थित तालाबो की संख्या का विवरण								
		प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	यमून प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	नगर निकाय	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्राम पंचायत	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना
1	67	0	281	107	277	0	32	0	381	249

बैठक में निर्देश दिये गये कि समस्त तालाबो की सूचना प्रपत्र-2 में एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. पूर्व बैठक में विगत वर्षो की वर्षवार गूगल इमेज निकलवाने हेतु निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्यवाही नहीं की गयी निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उप जिलाधिकारी)

3. निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमों तथा आदेशों के कम में अतिक्रमित तालाबो यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबो की संख्या में कोई भिन्नता न रहे।

(कार्यवाही ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उपजिलाधिकारी जेवर)

4. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा-59 की उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बड़ा दिया जायेगा अर्थात

स्थानीय प्राधिकरण में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नकर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास

K-III/5

प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण अथवा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन 'औद्योगिक विकास क्षेत्रान्तर्गत घोषित कोई औद्योगिक नगरी सम्मिलित होंगे।' धारा-59 के अनुसार तालाबों के चिन्हांकन, संवर्धन, सर्वेक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) कार्य सम्बन्धित प्राधिकरण एवं नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

- (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, एवं जिला पंचायतराज अधिकारी गौतमबुद्धनगर, नगरपालिका/समस्त नगर पंचायत)
5. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जो तालाब विकास कार्यो के कारण नष्ट हो गये है अथवा जिनमें अतिक्रमण हो चुका है उन तालाबो को Mitigation में शामिल करने की कार्यवाही की जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी)
 6. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में तालाबो को सूचीबद्ध करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। डिविजन-1 में 15 तालाबो में से 05 में कार्य प्रारम्भ हो चुका है शेष में टेण्डर की कार्यवाही की जा रही है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि संबंधित अधिकारियों की उक्त के संबंध में जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में पृथक से एक बैठक आयोजित करने की कार्यवाही जाये।
 - (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी)
 7. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में जनपद में तालाबो सुदृढीकरण करने के सम्बन्ध में कार्य किये गये है। उन तालाबों को सूचीबद्ध कर मय फोटोग्राफ के उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी)
 8. धारा-67 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की अध्याविधिक स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये। (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी)
 9. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

प्रारूप

क्र० सं०	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या/स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज	भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगरपालिका, नगर पंचायत) बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 5056/19.1. दिनांक गौतमबुद्धनगर 27-3-2023।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधितो को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर

R-III/6 (2)

पत्रांक / , दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर।
3. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर।
4. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
5. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।

21/5/24
 जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
 जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर

K-III 7

-:कार्यवृत्त:-

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य ने पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में दिनांक 27-04-2023 को श्री मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक में श्रीमती वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलैण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य ने पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में प्रपत्र-2 में सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में जनपद में स्थित तालाबों की संख्या निम्न प्रकार अंकित की गयी है।

क0 सं0	नोएडा प्राधिकरण	जनपद में स्थित तालाबों की संख्या का विवरण								
		प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	यमून प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	नगर निकाय	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्राम पंचायत	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना
1	67	0	281	107	277	0	32	0	361	249

बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त तालाबों की सूचना प्रपत्र-2 में एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, एवं जिला पंचायतराज अधिकारी गौतमबुद्धनगर, नगरपालिका/समस्त नगर पंचायत)

2. पूर्व बैठक में विगत वर्षों की वर्षवार गूगल इमेज निकलवाने हेतु निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्यवाही नहीं की गयी निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उप जिलाधिकारी)

3. निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमों तथा आदेशों के क्रम में अतिक्रमित तालाबों यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबों की संख्या में कोई भिन्नता न रहे।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण/समस्त उपजिलाधिकारी)

4. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जो तालाब विकास कार्यों के कारण नष्ट हो गये हैं अथवा जिनमें अतिक्रमण हो चुका है उन तालाबों को Mitigation में शामिल करने की कार्यवाही की जाये। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्यवाही की कार्ययोजना बनाकर एक सप्ताह के अन्दर समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी)

K-III/8

6. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में तालाबों को सुविधा देने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी)
7. जल-शुद्धी के अन्तर्गत एक सराह में अभियान चलाकर कार्यवाही की जाये तथा अध्यावधिक स्थिति से आगामी सत्र के अवगत कराया जाये।
(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी)
8. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

प्रारूप

क्र. सं.	सूचनार्थ का नाम	विकासखण्ड का नाम	राज्य का नाम	क्षेत्रफल हेक्टर में	गाटा संख्या/स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज	भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगरपालिका, नगर पंचायत) केन्द्र के साथ सनापत हुई।

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

संक्र. 6773/61 दिनांक गौतमबुद्धनगर 12-5-2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधितों को सूचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर

संक्र. 6773/ दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर।
3. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर।
4. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
5. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. अधिष्ठाता अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
8. अधिष्ठाता अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
9. श्री अनीष कुसुम गुप्ता, पर्यावरणविद-विशेष आमंत्रित सदस्य जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर

K-1119

-:कार्यवृत्त:-

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में Water Bodies के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में दिनांक 30-05-2023 को श्री मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक मे श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलैण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में Water Bodies के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में प्रपत्र-2 में सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में जनपद में स्थित तालाबो की संख्या निम्न प्रकार अंकित की गयी है।

क्र0 सं0	नोएडा प्राधिकरण	जनपद में स्थित तालाबो की संख्या का विवरण								
		प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	यमून प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	नगर निकाय	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्राम पंचायत	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना
1	67	0	281	107	277	0	32	0	361	249

बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में असंतोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिये गये कि समस्त तालाबो की सूचना प्रपत्र-2 में एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमो तथा आदेशो के क्रम में अतिक्रमित तालाबो यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबो की संख्या में कोई भिन्नता न रहे किन्तु अब तक की गयी कार्यवाही से बैठक में अवगत नही कराया गया है। समिति अध्यक्ष द्वारा तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण / समस्त उपजिलाधिकारी)

3. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जो तालाब विकास कार्यों के कारण नष्ट हो गये है अथवा जिनमें अतिक्रमण हो चुका है उन तालाबो को Mitigation में शामिल करने की कार्यवाही की जाये। पूर्व बैठक में भी इस संबंध में निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्यवाही की कार्ययोजना बनाकर एक सप्ताह के अन्दर समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी
4. धारा-67 के अन्तर्गत एक सप्ताह में अभियान चलाकर कार्यवाही की जाये तथा अध्याविधिक स्थिति से बैठक में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु बैठक में अवगत नहीं कराया गया। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश

R-III/10

दिये गये कि अध्याविधिक स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

5. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु बार-बार निर्देशित किया जा रहा है किन्तु वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दी जाये।

प्रारूप

क्र० सं०	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या/स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज	भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगरपालिका, नगर पंचायत)

6. समिति अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये किये गये उक्त कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या दस दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई-1 सेक्टर-1 नोएडा कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये।

7. समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है उनके स्पष्टीकरण का आलेख बनाकर प्रस्तुत करें। (कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर) बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 7156/10 दिनांक गौतमबुद्धनगर 5-6-2023।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधितों को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 7156/10 दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर।
3. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर।
4. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
5. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
9. श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता, पर्यावरणविद-विशेष आमंत्रित सदस्य जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर

R-111/11

:-कार्यवृत्त:-

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफिटनेट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके कम में दिनांक 22-06-2023 को श्री मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक मे श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलैण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफिटनेट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके कम में प्रपत्र-2 में सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में जनपद में स्थित तालाबो की संख्या निम्न प्रकार अंकित की गयी है।

क0 सं0	नोएडा प्राधिकरण	जनपद में स्थित तालाबो की संख्या का विवरण								
		प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	यमून प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	नगर निकाय	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्राम पंचायत	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना
1	67	0	281	107	277	0	32	0	361	249

बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में असंतोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिये गये कि समस्त तालाबो की सूचना प्रपत्र-2 में तीन दिन के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमो तथा आदेशो के कम में अतिक्रमित तालाबो यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबो की संख्या में कोई भिन्नता न रहे किन्तु अब तक की गयी कार्यवाही से समिति को अवगत नहीं कराया गया है। समिति अध्यक्ष द्वारा तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

3. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जो तालाब विकास कार्यों के कारण नष्ट हो गये है अथवा जिनमें अतिक्रमण हो चुका है उन तालाबो को Mitigation में शामिल करने की कार्यवाही की जाये। पूर्व बैठक में भी इस संबंध में निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्यवाही की कार्ययोजना बनाकर एक सप्ताह के अन्दर समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी)

4. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु बार-बार निर्देशित किया जा रहा है किन्तु वांछित सूचना प्राप्त

4-11/12

नहीं हो रही है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाये।

क्र० सं०	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या/स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज	भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगरपालिका, नगर पंचायत)

6. समिति अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये किये गये उक्त कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई-1 सेक्टर-1 नोएडा कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाये।
7. जनपद में स्थित तालाबो का मास्टर प्लान तैयार कर आगामी बैठक में उपलब्ध कराया जाये।
8. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में सुनवाई की आगामी तिथि 14-07-2023 नियत है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये समस्त संबंधित विभाग अपना प्रतिउत्तर तैयार कर नियत तिथि में मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण//अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर)

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

मुख्य विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी

गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 1373/21 दिनांक

गौतमबुद्धनगर 27-06-2023।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधितों को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

मुख्य विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 1373, दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर।
2. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर।
4. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर।
5. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
6. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
9. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
10. श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता, पर्यावरणविद-विशेष आमंत्रित सदस्य जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर।

मुख्य विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर